प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

सिविल पुनरीक्षण संख्या 324/2025

1–श्रीमती. हिरौंदी बाई साहू पति श्री महेश साहू उम्र लगभग 72 वर्ष निवासी ग्राम कपसदा, पुलिस थाना धरसीवा, तहसील धरसीवा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

2 – देवेन्द्र कुमार साहू पिता श्री चुरामन साहू उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी ग्राम कपसदा, थाना धरसीवा, तहसील धरसीवा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 – नरेन्द्र साहू पिता श्री चुरामन साहू उम्र लगभग 44 वर्ष निवासी ग्राम कपसदा, पुलिस थाना धरसीवा, तहसील धरसीवा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

4 – फूलचंद साहू पिता श्री फेकूराम साहू उम्र लगभग 53 वर्ष निवासी ग्राम कपसदा, थाना धरसीवा, तहसील धरसीवा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

5 – भालचंद बघेल पिता श्री हीरालाल बघेल उम्र लगभग 54 वर्ष हल्का पटवारी ग्राम कपसदा, निवासी पी.एच.नं. 08, ग्राम पाथरी, तहसील धरसीवा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

---आवेदकगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1 – थानारू राम साहू पिता स्वर्गीय श्री कोंडाराम साहू उम्र लगभग 75 वर्ष निवासी ग्राम कपसदा, पुलिस थाना धरसीवा, तहसील धरसीवा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।पावर ऑफ अटार्नी के द्वारा, महेश कुमार साहू, पिता थानारू राम साहू, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी ग्राम कपसदा, पुलिस थाना धरसीवा, तहसील धरसीवा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ (वादी)।

2 – छत्तीसगढ़ राज्य कलेक्टर के द्वारा , रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ (उत्तरवादी /प्रतिवादी संख्या

---उत्तरवादीगण

---

आवेदक हेतु : सुश्री पूर्णिमा सिंह, अधिवक्ता।

उत्तरवादी/राज्य हेतु : श्री दशरथ प्रजापति, पैनल अधिवक्ता।

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद,न्यायाधीश

## पीठ पर आदेश

**12/12/2025**

1. आई.ए. संख्या 1/2025 पर सुना गया, जो विलंब के क्षमा हेतु एक आवेदन है।

2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक सीमित साधनों वाले ग्रामीण निवासी हैं, जो मुश्किल से अपना दैनिक जीवन यापन कर पाते हैं, और गंभीर वित्तीय कठिनाइयों के कारण वे निर्धारित अवधि के भीतर इस माननीय न्यायालय में याचिका दायर करने में असमर्थ रहे; आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक विधिक प्रक्रियाओं से परिचित नहीं हैं और न्यायिक कार्यवाही की पेचीदगियों से अनभिज्ञ थे, और इन वास्तविक और अपरिहार्य कारणों से, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर करने में 303 दिनों की अनजाने में विलंब हुआ है, जो न तो जानबूझकर किया गया है और न ही आशय से, बल्कि पूरी तरह से उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण हुआ है।

3. उचित विचार–विमर्श के बाद और आवेदन में उल्लिखित कारणों के आधार पर, आई.ए. संख्या 1/2025 को स्वीकार किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि रायपुर (छत्तीसगढ़) के प्रथम सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ प्रभाग के न्यायालय में माननीय 10 वें अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा सिविल वाद संख्या 223 ए/2023 में दिनांक 09.10.2024 को पारित आदेश से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है।जिसके तहत सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदकों द्वारा दायर आवेदन को विचारण न्यायालय ने यह मानते हुए खारिज कर दिया कि आवेदकों द्वारा उठाए गए आधार—अर्थात् कि वाद परिसीमा द्वारा वर्जित है, कि वाद का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है और आवश्यक न्यायालय शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, कि कोई कार्यवाही का कारण नहीं है, और कि वाद न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों से प्रभावित है—ऐसे प्रकरण हैं जिनका निर्णय वाद की सुनवाई के दौरान किया जाना आवश्यक है और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन पर विचार करते समय प्रारंभिक चरण में इनका निर्णय नहीं किया जा सकता है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि, अभिलेख के आधार पर, वाद स्पष्ट रूप से परिसीमा से बाधित है और कम मूल्यांकन के कारण और भी दूषित है, क्योंकि वादी वाद का सही मूल्यांकन करने और विधि के अनुसार आवश्यक न्यायालय शुल्क का भुगतान करने में विफल रहा है।यह तर्क दिया जाता है कि वादी के पक्ष में वर्तमान वाद दायर करने के लिए कोई वैध या विद्यमान कारण उत्पन्न नहीं हुआ है तथा यह भी स्पष्ट रूप से पूर्व न्याय निर्णय के सिद्धांतों से भी स्पष्ट रूप से प्रभावित है, क्योंकि विवाद्यक का निराकरण पक्षों के बीच पिछली कार्यवाही में पहले ही हो चुका है।विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि इन स्पष्ट विधिक बाधाओं को देखते हुए, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत वाद को प्रारंभिक चरण में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए।हालांकि, विचारण न्यायालय ने उक्त आवेदन को इस त्रुटिपूर्ण धारणा पर खारिज

करने में विधि की स्पष्ट त्रुटि की है कि इसमें शामिल विवाद्यक तथ्यात्मक आक्षेपित प्रश्न हैं जिनका निर्णय केवल वाद की सुनवाई के दौरान ही किया जा सकता है, जबकि वाद पत्र में उल्लिखित दोष स्पष्ट रूप से मौजूद हैं।आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि जहां वादपत्र को स्पष्ट और सार्थक रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि वादपत्र प्रथम दृष्टया परिसीमा से बाधित है, इसमें कोई विधिक रूप से मान्य कारण नहीं है, और यह न्यायिक निर्णय के सिद्धांतों से भी प्रभावित है, वहां न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह वाद को प्रारंभिक चरण में ही खारिज कर दे, पक्षों को पूर्ण सुनवाई के लिए भेजे बिना या साक्ष्य दर्ज होने की प्रतीक्षा किए बिना, क्योंकि ऐसी कार्यवाही जारी रखना विधि का दुरुपयोग होगा और इससे अनावश्यक उत्पीड़न और बहुमूल्य न्यायिक समय की बर्बादी होगी।

7. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि विचारण न्यायालय ने एक सुविचारित आदेश पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

8. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अभिलेख और वादपत्र का सरसरी और सावधानीपूर्वक अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि वाद संपत्ति के संबंध में स्वामित्व की घोषणा, कब्जे की वसूली और स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए दायर किया गया है। वादी ने विशेष रूप से यह निवेदन किया है कि वह वादग्रस्त भूमि का वैधानिक स्वामी है; हालांकि, उसके स्वयं के कथनों के अनुसार, प्रतिवादियों ने बिना किसी अधिकार या प्राधिकार के अवैध रूप से और जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लिया है।वादपत्र से यह भी स्पष्ट होता है कि कथित वाद का कारण 04.07.2021 को उत्पन्न हुआ, जिस दिन प्रतिवादियों ने वाद संपत्ति पर लोहे की बाड़ लगाकर अवैध कब्जा स्थापित किया और वादी के कथित अधिकारों में हस्तक्षेप किया।उक्त दावों के आधार पर, वादी ने उचित घोषणात्मक और निषेधात्मक अनुतोष के साथ–साथ कब्जे की पुनर्स्थापित की मांग करते हुए यह वाद दायर करने का दावा किया है।

10. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर आवेदन पर विचार और निराकरण से संबंधित विधि सुस्थापित है और अब कोई नया विवाद्यक नहीं है, क्योंकि ऐसे आवेदन पर निर्णय करते समय न्यायालय को केवल वादपत्र में किए गए कथनों की ही जांच करनी होती है और यह देखना होता है कि क्या वादपत्र को स्पष्ट और सार्थक रूप से पढ़ने पर उक्त प्रावधान के अंतर्गत सूचीबद्ध किसी भी आधार पर वाद खारिज किया जा सकता है; इस प्रारंभिक चरण में, प्रतिवादियों द्वारा लिखित बयान में या आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दायर आवेदन में दिया गया बचाव पूरी तरह से असंगत है और उस पर विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वादपत्र में लगाए गए आरोपों की सत्यता या असत्यता, साथ ही बचाव के गुण–दोष, केवल वाद की सुनवाई के दौरान साक्ष्य के आधार पर ही परखे जाने योग्य हैं।

11. परिसीमा, वाद के कारण के अस्तित्व या गैर–अस्तित्व, वाद के उचित मूल्यांकन, न्यायालय शुल्क की पर्याप्तता और निर्धारण तथा पूर्वन्याय के तर्क से संबंधित आपत्तियों के संबंध में, यह सर्वविदित है कि ऐसे विवाद्यक में आम तौर पर विधि और तथ्य के मिश्रित प्रश्न शामिल होते हैं जिन्हें प्रारंभिक स्तर पर निर्णायक रूप

से निर्धारित नहीं किया जा सकता है; बल्कि, उन्हें अभिवचनों, साक्ष्यों और आसपास की परिस्थितियों की विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है, और इसलिए इनका निर्णय केवल वाद की कार्यवाही के दौरान ही किया जा सकता है।सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर आवेदन पर विचार करने के चरण में, न्यायालय सख्ती से केवल वादपत्र में किए गए कथनों तक ही सीमित है और वह व्यापक जांच नहीं कर सकता है या आक्षेपित प्रश्नों का निर्णय नहीं कर सकता है, न ही वह बचाव पक्ष या बाहरी सामग्री के संदर्भ में वादी के दावे की सत्यता का परीक्षण कर सकता है।परिणामस्वरूप, जब तक कि वाद–पत्र की सीधी और सार्थक अध्ययन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि वाद विधि द्वारा वर्जित है, उसका मूल्यांकन कम किया गया है, या वह किसी वैधानिक निषेध के दायरे में आता है, तब तक प्रारंभिक चरण में ही वाद–पत्र को खारिज करना अनुचित है; और ऐसे आक्षेपों को उचित रूप से उस समय के लिए खुला छोड़ दिया जाना चाहिए, जब विचारण के दौरान पक्षकार अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर चुके हों।

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार–बार न्यायालयों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय, केवल वाद में निहित कथनों की ही जांच की जानी आवश्यक है और बचाव पक्ष या बाहरी सामग्री पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है।यद्यपि आवेदकों की विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष अपनी इस तर्क के समर्थन में कई दस्तावेज़ प्रस्तुत किए हैं कि यह वाद पूर्वन्याय के सिद्धांतों के कारण वर्जित है, तथापि ऐसे दस्तावेज़ों पर विचार और उनका मूल्यांकन करने में अनिवार्य रूप से तथ्यों से संबंधित ऐसे आक्षेपित प्रश्न शामिल हैं, जिनका निर्णय प्रारंभिक चरण में नहीं किया जा सकता है।इन दस्तावेजों की परीक्षा विचारण न्यायालय द्वारा उचित चरण में, सुसंगत विवाद्यक को निर्धारित करने के बाद और पक्षों को मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के बाद की जानी आवश्यक है, ताकि विधि के अनुसार वाद का उचित और प्रभावी निर्णय हो सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. परिसीमा का प्रश्न है, यह विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है, जिसके लिए पूर्ण निर्णय आवश्यक है। वाद कारण की अनुपलब्धता के संबंध में तर्क यह है कि कारण तथ्यों का एक समूह है जिस पर वाद की सुनवाई के दौरान विचार किया जाना चाहिए।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **स्वदेश कुमार अग्रवाल बनाम दिनेश कुमार अग्रवाल और अन्य (2022) 10 एससीसी 235 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि**विधि की स्थापित स्थिति के अनुसार, सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के चरण में केवल अभिकथन और आरोप आवेदन/वाद पर विचार किया जाना चाहिए, न कि लिखित बयान और/या आवेदन का जवाब और/या बचाव पर।अतः, विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत आवेदन को उचित ढंग से खारिज कर दिया।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रमेश डी. देसाई बनाम बिपिन वडीलाल मेहता और अन्य के मामले में, (2006) 5 एससीसी 638 में प्रकाशित प्रकरण में, परिसीमा के विवाद्यक पर विचार करते हुए कहा कि परिसीमा संबंधी तर्क को तथ्यों से अलग एक अमूर्त विधिक सिद्धांत के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि

प्रत्येक प्रकरण में परिसीमा की शुरुआत का पता लगाना होता है, जो पूरी तरह से तथ्य का प्रश्न है।अतः, परिसीमा के विवाद्यक पर पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति न देकर और आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत दायर आवेदन के आधार पर परिसीमा के विवाद्यक का अंतिम निर्णय करना अवैध है और इसे खारिज किया जाना चाहिए तथा विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जावे कि वह परिसीमा के विवाद्यक को निर्धारित करे और पूर्ण विचारण के बाद अन्य विवाद्यक के साथ इसका निर्णय करे।

16. **श्री मुकुंद भवन ट्रस्ट और अन्य बनाम श्रीमंत छत्रपति उदयन राजे प्रतापसिंह महाराज भोंसले और अन्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3844** के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः --

**"26. इस समय, हम यह कहना चाहते हैं कि हम विधि की इस स्थिति से अनभिज्ञ नहीं हैं कि परिसीमा तथ्य और विधि का एक मिश्रित प्रश्न है और उस आधार पर वाद को अस्वीकार करने का प्रश्न अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद निर्धारित किया जाना चाहिए।हालांकि, ऐसे प्रकरण में, जहां वादी के कथनों से स्पष्ट है कि वाद पत्र समय सीमा के कारण पूरी तरह से खारिज हो चुका है, न्यायालयों को अनुतोष देने में संकोच नहीं करना चाहिए और पक्षों को विचारण न्यायालय में वापस भेजना चाहिए।हम फिर से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह ऐसा प्रकरण नहीं है जिसमें कोई जालसाजी या मनगढ़ंत दस्तावेज बनाया गया हो जिसकी जानकारी वादी को हाल ही में मिली हो।बल्कि, वादी और उसके पूर्वजों ने समय रहते अपने स्वामित्व और अधिकारों को साबित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।कथित वाद का कारण भी काल्पनिक पाया गया है। हालांकि, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा सीपीसी के आदेश VII नियम 11(डी) के तहत दायर आवेदन को त्रुटिपूर्ण ढंग से खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने भी इस तथ्य को यथावत रखते हुए त्रुटि की, क्योंकि उसने परिसीमा के प्रश्न को अन्य विवाद्यक के साथ-साथ साक्ष्यों पर विचार करने के बाद विचारण न्यायालय द्वारा विचार के लिए खुला रखा, जबकि उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा वाद में किए गए कथनों के आधार पर मुख्य विवाद्यक का निर्णय नहीं किया, जैसा कि सीपीसी के आदेश VII नियम 11 (डी) द्वारा अनिवार्य है। सी.पी.सी. के आदेश VII नियम 11(डी) की भावना और आशय केवल यह है कि जब कोई वाद प्रथम दृष्टया प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग प्रतीत होता है, तो न्यायालय उसे प्रारम्भ में ही समाप्त कर देंवे।न्यायालयों की अनिच्छा से प्रतिवादियों को साक्ष्य प्रस्तुत करने की कठिन प्रक्रिया से गुज़रने के लिए विवश करके उन्हें और अधिक हानि पहुँचाई जाती है।अतः, हमारा मानना है कि अभियोग को प्रारंभिक चरण में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए।"**

17. हाल ही में, **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने करम सिंह बनाम अमरजीत सिंह और अन्य के प्रकरण में (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 2240 में प्रकाशित), निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः --**

**"15. आक्षेपित आदेशों की सत्यता का आकलन करने से पहले, हमें सीपीसी के आदेश 7 नियम 112 के तहत वाद को अस्वीकार करने वाले बुनियादी सिद्धांतों को स्मरण रखना चाहिए:यहां, प्रतिवादी नियम 11 के**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**खंड (डी) के तहत वाद पत्र को खारिज करने की मांग करते हैं (अर्थात, विधि द्वारा वाद वर्जित है)।खंड (घ) यह स्पष्ट करता है कि इसके अंतर्गत वाद को अस्वीकार करने पर विचार करते समय, यह पता लगाने के लिए कि क्या वाद विधि द्वारा वर्जित है, केवल वाद में किए गए कथनों पर ही विचार किया जाएगा और किसी अन्य बात पर नहीं।इस स्तर पर बचाव पक्ष के तर्क पर विचार नहीं किया जाएगा।अतः, यह निर्धारित किया जाएगा कि वाद किसी विधि के तहत वर्जित है या नहीं, यह वादपत्र में किए गए कथनों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।**

**17. उपरोक्त के अलावा, यह वाद केवल वसीयत को अमान्य घोषित करने के लिए ही नहीं, बल्कि कब्जे के लिए भी था।वादी ने प्राकृतिक उत्तराधिकार के आधार पर आक्षेपित भूमि पर स्वामित्व का दावा किया और स्वामित्व के आधार पर कब्जे कि मांग की।जहां कोई वाद अचल संपत्ति या उसमें किसी हित के कब्जे के लिए, स्वामित्व के आधार पर दायर किया जाता है, वहां परिसीमा अवधि 12 वर्ष होती है जब प्रतिवादियों का कब्जा वादी के प्रतिकूल हो जाता है (परिसीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 65 के अनुसार)।**

18. **इंदिरा बनाम अरुमुगम प्रकरण में**, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब वाद कब्जे के लिए स्वामित्व पर आधारित होता है, तो एक बार सुसंगत दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर स्वामित्व स्थापित हो जाने पर, जब तक प्रतिवादी निर्धारित अवधि के लिए प्रतिकूल कब्जे को साबित नहीं कर देता है, तब तक वादी को वाद से बाहर नहीं किया जा सकता है।परिणामस्वरूप,जब स्वामित्व के आधार पर कब्जे के लिए वाद दायर किया जाता है, तो प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वाद को खारिज करने के लिए, प्रतिवादी पर निर्धारित अवधि के लिए प्रतिकूल कब्जे को साबित करने का भार होता है।अतः, हमारी राय में, यह ऐसा विवाद्यक नहीं हो सकता है जिस पर प्रारंभिक चरण में ही वाद को खारिज किया जा सके।इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से बताया था कि वे वसीयत को लेकर चल रही परिवर्तन कार्यवाही में भाग ले रहे थे, जो वर्ष 2017 में समाप्त हुई।इसके तीन वर्ष के भीतर ही परिवर्तन प्रविष्टि को अवैध घोषित करने के लिए वाद दायर किया गया था।अत: यह देखते हुए कि नामातंरण की कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की होती है, उसी पर प्रश्न उठाने वाले नियमित वाद को विधि द्वारा प्रथम दृष्टया वर्जित नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. इसके अलावा, जहां वाद में कई अनुतोष मांगे जाते हैं, यदि कोई भी अनुतोष परिसीमा अवधि के भीतर है, तो सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11(डी) का सहारा लेकर वाद को विधि द्वारा वर्जित घोषित नहीं किया जा सकता है।

20. इसके अलावा, ए**न. थजुद्दीन बनाम तमिलनाडु खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड 12 में, इस न्यायालय के पूर्व के निर्णय "सी. मोहम्मद यूनुस बनाम सैयद उन्नीसा 12**" पर भरोसा करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया थाः

**23. अतिरिक्त अनुतोष सहित घोषणा के वाद में, परिसीमा उस अनुच्छेद द्वारा नियंत्रित होगी जो अतिरिक्त अनुतोष के वाद को नियंत्रित करता है।वास्तव में, अचल संपत्ति पर स्वामित्व की घोषणा हेतु दायर किया गया**

वाद तब तक वर्जित नहीं होगा जब तक कि उस संपत्ति पर अधिकार निरंतर बना रहता है।जब ऐसा अधिकार विद्यमान रहता है, तो घोषणा के लिए राहत एक सतत अधिकार होगा और ऐसे वाद के लिए कोई समय सीमा नहीं होगी।सिद्धांत यह है कि जब तक संपत्ति का अधिकार विद्यमान है, तब तक किसी अधिकार की घोषणा के लिए दायर किया गया वाद वर्जित नहीं माना जा सकता है।

24. वैसे भी, यद्यपि परिसीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 58 के अनुसार स्वामित्व की घोषणा हेतु वाद दाखिल करने की परिसीमा तीन वर्ष है, परन्तु स्वामित्व के आधार पर कब्जे की वसूली हेतु परिसीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 65 के अनुसार, प्रतिवादी का कब्जा प्रतिकूल होने की तिथि से 12 वर्ष है। अतः, कब्जे की राहत हेतु वाद वास्तव में वर्जित नहीं था और इस प्रकार प्रथम न्यायालय समय सीमा के कारण पूरे वाद को खारिज नहीं कर सकता था।"

18. हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पांडुरंगन बनाम टी. जयराम चेट्टियार और अन्य के प्रकरण में सिविल अपील संख्या 7743/2025 में दिनांक 14.07.2025 को दिए गए निर्णय में, जो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1425 में प्रकाशित हुआ है,** इसी तरह के विवाद्यक पर विचार करते हुए निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया है: --

8. श्रीहरि हनुमानदास तोताला बनाम हेमंत विट्ठल कामत [श्रीहरि हनुमानदास तोताला बनाम हेमंत विट्ठल कामत, (2021) 9 एससीसी 99 :(2021) 4 एससीसी (सिविल) 489] में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पूर्वन्याय के तर्क का निर्णय सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के दायरे से बाहर है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:(एससीसी पृष्ठ 112,कंडिका 25)

"25. उपरोक्त अधिकारियों के अवलोकन पर, आदेश 7 नियम 11(डी) के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:

25.1.किसी वाद पत्र को किसी विधि द्वारा वर्जित होने के आधार पर खारिज करने के लिए, केवल वाद में उल्लिखित कथनों का ही उल्लेख करना होगा।

25.2.वाद में प्रतिवादी द्वारा दिए गए बचाव को आवेदन के गुण–दोष का निर्णय करते समय ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए।

25.3.किसी वाद पर पूर्वन्याय का प्रतिबंध है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए यह आवश्यक है कि: **(i)** "पिछला वाद"निर्धारित हो चुका है**; (ii)** बाद वाले वाद के विवाद्यक सीधे और सारतः पहले वाले वाद में विवाद का विषय थे**; (iii)** पहले वाला वाद उन्हीं पक्षों या उनके माध्यम से दावा करने वाले पक्षों के बीच था, जो उसी अधिकार के तहत वाद लड़ रहे थे; और **(iv)** इन विवाद्यक पर बाद वाले वाद की सुनवाई करने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25.4.चूँकि पूर्वन्याय के तर्क पर निर्णय के लिए "पिछले वाद" में तर्क, विवाद्यक और निर्णय पर विचार करने की आवश्यकता होती है, ऐसी तर्क, आदेश 7 नियम 11(डी) के दायरे से बाहर होगी, जहाँ केवल वाद में दिए गए कथनों की जाँच करनी होगी।(जोर दिया गया)इस बात से संबंधित विवाद्यक की विस्तार से जांच करने की आवश्यकता है कि क्या एकतरफा डिक्री मिलीभगत से प्राप्त की गई है, या क्या प्रतिवादी 1 ने, जैसा कि आरोप लगाया गया है, अधिकार क्षेत्र न रखने वाली न्यायालय में वाद दायर करके धोखाधड़ी की है, या क्या अपीलकर्ता एक वास्तविक क्रेता है या नहीं।इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसी परिस्थितियों में पूर्व निर्णय और दूसरे वाद पर उसके प्रभाव की गहन जांच आवश्यक है।केवल वाद को खारिज करने की याचिका में किए गए कथनों के आधार पर पूर्वन्याय का निर्णय नहीं किया जा सकता है।जैसा कि इस न्यायालय ने वी. राजेश्वरी बनाम टी.सी. सरवनबावा [वी. राजेश्वरी बनाम टी.सी. सरवनबावा, (2004) 1 एससीसी 551] में कहा है, कार्यवाही के कारणों में समानता की पहचान परीक्षण का विषय होना चाहिए जहां पहले वाद के दस्तावेजों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है।पूर्वन्याय अटकलबाजी या अनुमान का विषय नहीं हो सकता है।केशव सूद बनाम कीर्ति प्रदीप सूद [केशव सूद बनाम कीर्ति प्रदीप सूद, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 2459] के मामले में, इस न्यायालय ने वाद को खारिज करने की मांग करने वाले आवेदनों में उठाए गए पूर्वन्याय के तर्क के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया तथा निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः(केशव सूद मामला [केशव सूद बनाम कीर्ति प्रदीप सूद, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 2459], एससीसी ऑनलाइन एससी कंडिका 5–6)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"5. जहां तक आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के दायरे का संबंध है, विधि सुस्थापित है।न्यायालय केवल वादपत्र में किए गए कथनों और अधिकतम वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की ही जांच कर सकता है।ऐसे आवेदन पर निर्णय लेते समय प्रतिवादी के बचाव और उसके द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जा सकता है।"6. अतः, हमारी राय में, आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत आवेदन पर पूर्वन्याय का विवाद्यक निर्धारित नहीं किया जा सकता था। इसका कारण यह है कि इस विवाद्यक पर निर्णय में पूर्ववर्ती वाद में दिए गए कथनों, विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय और अपीलीय न्यायालय के निर्णय पर विचार करना शामिल है।अतः,हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस स्तर पर न तो विद्वान एकल न्यायाधीश और न ही युगल पीठ अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए पूर्वन्याय के तर्क पर गुण–दोष के आधार पर निर्णय ले सकते थे।"

10.विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत प्रकरण पर न तो विचार किया गया है और न ही उसका विश्लेषण किया गया है।इसके अलावा, विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी की कार्यवाही की वैधता पर इस आधार पर प्रश्न उठाया है कि, "उसने ओ.एस. संख्या 298/96 में पारित डिक्री के संबंध में कोई आपत्ति नहीं जताई गयी।अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रथम प्रतिवादी द्वारा उठाया गया धोखाधड़ी का आरोप स्वीकार्य नहीं है।इस दृष्टिकोण से, विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की प्रयोज्यता पर अपीलकर्ता की आपत्ति को यह कहते हुए खारिज कर दिया:"12. प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस प्रकार के प्रश्न को प्रारंभिक विवाद्यक के रूप

में निर्धारित नहीं किया जा सकता है।अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने कालियाम्बल बनाम पद्मिनी [कालियाम्बल बनाम पद्मिनी, 2009 एससीसी ऑनलाइन मैड 187: में हमारे माननीय न्यायालय के निर्णय को दायर किया है:(2009) 4 एलडब्ल्यू 432] और ए. चिन्नाराज बनाम सरोजा अम्मल [ए. चिन्नराज बनाम सरोजा अम्मल, 2007 एससीसी ऑनलाइन मैड 769:(2007) 4 एलडब्ल्यू 580], एम. थंडावराय पूसलाई बनाम एम. पेरियासामी असारी [एम. थंडावराय पूसलाई बनाम एम. पेरियासामी असारी, (2000) 3 मैड एलजे 342], लालजीवोरा बनाम श्रीविद्या [लालजीवोरा बनाम श्रीविद्या, 2001 एससीसी ऑनलाइन मैड 358:(2002) 1 एलडब्ल्यू 398]।परंतु वे प्रकरण न्यायालय शुल्क से संबंधित हैं। परंतु इस प्रकरण का न्यायालय शुल्क से कोई संबंध नहीं है।अतः, उपर्युक्त उद्धरण इस वाद पर लागू नहीं होते है।उपरोक्त कारणों और स्पष्टीकरणों के आधार पर, याचिका स्वीकार की जाती है।इस पर कोई वाद व्यय देय नही होगा।"

11. हम विचारण न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण और तर्क से सहमत नहीं हैं।इसी प्रकार, उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 227 के तहत अपीलकर्ता की पुनरीक्षण याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. यद्यपि हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने इस प्रश्न पर कोई राय व्यक्त नहीं की है कि ओ.एस. संख्या 298/96 दिनांक 29-7-1997 का एकतरफा निर्णय वर्तमान वाद को बाधित करने वाले पूर्वन्याय के रूप में लागू होगा या नहीं, हम यह अभिनिर्धारित किया हैं कि इस प्रश्न की जांच आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत निर्धारित नहीं की जा सकती थी, विशेष रूप से अपीलकर्ता द्वारा वाद में एकतरफा निर्णय, उक्त लेनदेन से संबंधित परिस्थितियों और घोषणा तथा परिणामी अनुतोष के लिए वाद में की गई प्रार्थना के संदर्भ में किए गए विशिष्ट कथनों को ध्यान में रखते हुए।

13. उपरोक्त कारणों से, हम अपील स्वीकार करते हैं, पांडुरंगन बनाम आर. जयराम चेट्टियार [पांडुरंगन बनाम आर. जयराम चेट्टियार, 2019 एससीसी ऑनलाइन मद्रास 39518] मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20-3-2019 को पारित आदेश को अपास्त करते हैं और जिला मुंसिफ-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोर्टोनोवो के समक्ष वाद संख्या 60/2009 को उसके मूल क्रमांक पर पुनर्स्थापित करते हैं।चूंकि यह वाद वर्ष 2009 का है, इसलिए वाद के शीघ्र निराकरण के लिए निर्देश जारी किया जाता है।

14. अंत में, हम स्पष्ट करते हैं कि हमने प्रकरण के गुण पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए सभी आधार, जिनमें पूर्वन्याय से संबंधित आधार भी शामिल हैं, अंतिम निर्णय के लिए खुले रखे गए हैं।"

19. अब, वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित स्थापित विधि पर लौटते हुए, यह स्पष्ट है कि परिसीमा, वाद के कारण का अस्तित्व, वाद का मूल्यांकन, न्यायालय शुल्क का निर्धारण और पर्याप्तता, साथ ही पूर्वन्याय के तर्क से संबंधित प्रश्न ऐसे प्रकरण हैं जो पूरी तरह से वाद के दायरे में आते

हैं और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत दायर आवेदन के सीमित दायरे में प्रारंभिक चरण में निर्णायक रूप से निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे विवाद्यक के लिए उचित विवाद्यक को तैयार करने और पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद व्यापक निर्णय की आवश्यकता होती है, और तथ्य के इन आक्षेपित प्रश्नों और विधि और तथ्य के मिश्रित प्रश्नों का निर्णय केवल सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत एक आवेदन के आधार पर नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त स्थापित विधिक स्थिति को देखते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रकरण के विधि और तथ्यों को उचित ढंग से समझते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि विवाद के लिए साक्ष्य दर्ज करने के बाद उचित निर्णय की आवश्यकता है, और इसलिए इसे प्रारंभिक चरण में निर्धारित नहीं किया जा सकता है, और फलस्वरूप आदेश VII नियम 11 सी.पी.सी. के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

20. इस न्यायालय की राय में, विचारण न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर आवेदन को खारिज करते समय न तो कोई क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि की है और न ही विधि की कोई त्रुटि की है, क्योंकि आक्षेपित आदेश उक्त प्रावधान के दायरे और सीमा को नियंत्रित करने वाली स्थापित विधिक स्थिति को उचित दर्शाता है।विद्वान विचारण न्यायालय ने विवेकपूर्ण तरीके से और विधि के अनुसार अपने विवेक का प्रयोग किया है, यह ध्यान में रखते हुए कि आवेदकों द्वारा उठाए गए विवाद्यक पर साक्ष्य के आधार पर निर्णय की आवश्यकता है और प्रारंभिक चरण में निर्णायक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, इस न्यायालय को आक्षेपित आदेश में कोई विकृति, अवैधता या महत्वपूर्ण अनियमितता नहीं मिली है जिसके लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, और इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. तदनुसार, ऊपर बताए गए कारणों तथा विधि की स्थापित स्थिति को देखते हुए, इस न्यायालय को आवेदक द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है; फलस्वरूप, इसे सारहीन होने और आक्षेपित आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने के कारण खारिज किया जाता है।

22. यद्यपि, विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह पक्षकारों के कथनों से उत्पन्न उचित और व्यापक विवाद्यक को तैयार करे और दोनों पक्षों को अपने–अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान करने के बाद उनका निर्णय करे, और उसके बाद प्रकरण का निर्णय विधि के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार और अभिलेख में प्रस्तुत सामग्री के आधार पर कठोरता से किया जाए।

**सही/–**

**(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)**

**न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)**

***अस्वीकरणः*** *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur